© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 05 , Issue : 01 | January – March 2018

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की प्रमुख पहल एवं योजनाओ की समीक्षा

Vijay Kumar Garudik, Research Scholar, Department of Commerce
Dr. C.V. Raman University, Kota , Bilaspur (C.G.)

ISSN : 2348-5612 © URR

सार : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पिछले पांच दशको में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। सूलमउ, बड़े उद्योगों की तुलना में न्यूनतम पूंजीगत लागत पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में न केवल अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के औद्योगीकरण में भी सहायता करते हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलनों में कमी होती है और राष्ट्रीय आय एवं धन का समान वितरण सुनिश्चित होता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि राष्ट्रीय आय और धन की अधिक समान वितरण सुनिश्चित करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में मदद करते हैं। एमएसएमई के सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और यह क्षेत्र देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए काफी योगदान देता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। यह मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा और एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को सिफारिशें करने, एमएसएमई के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की परख होती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की प्रमुख पहलें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का प्रख्यापन

हाल के वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की पहल,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का प्रख्यापन एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल में सरकार ने 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006' विनियमित किया है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ) के संवर्धन एवं विकास को सरल एवं सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। 2 अक्तूबर, 2006 से लागू

हुए इस अधिनियम ने इस क्षेत्र की दीर्घावधि मांग को पूरा कर दिया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाओं को कानूनी मजबूती प्रदान करने के अलावा इस अधिनियम में इन उद्यमों के विलंबित भुगतान से संबंधित दंडात्मक प्रावधान भी शामिल है|

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 को पणधारियों के सभी खंडों के साथ क्षेत्र स्तरीय औपचारिक एवं ढाँचागत परामर्शों के साथ-साथ आयोग के प्रचालनों में व्यावसायिकताओं को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए कई नई विशेषताएं पुर:स्थापित करते हुए वर्ष, 2006 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया है| नया आयोग भी गठित किया गया है|

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

नवम्बर, 2011 में एक स्कीम को पूर्व की पीएमआरवाई और आरईजीपी स्कीमों को विलय करके अगस्त, 2008 में 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)' नामक एक राष्ट्र स्तरीय ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम शुरू की गयी| इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक और विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के लागत वाले सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय सहायता ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत सब्सिडी (कमजोर वर्गो सहित विशेष श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 15 प्रतिशत (कमजोर वर्गो सहित विशेष श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत) उपलब्ध कराई जाती है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रापण नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए एक सार्वजनिक प्रापण नीति मार्च, 2012 में अधिसूचित की गई थी। इस नीति में विचार किया गया है कि प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तीन वर्ष की अवधि में सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक क्रय के न्यूनतम 25 प्रतिशत के उद्देश्य की प्राप्ति के साथ सूक्ष्म और लघु क्षेत्र से प्रापण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। इसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से प्रापण के लिए 4 प्रतिशत अभिनिर्धारित किया जाएगा। यह नीति सरकारी क्रय में सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा भागीदारी बढ़ाकर विपणन पहुंच और प्रतिस्पर्धा में सुधार करके तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों और बड़े उद्यमों के बीच संबंधो को प्रोत्साहित करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संवर्धन में सहायता करेगी।

सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ) की चौथी अखिल भारतीय गणना

मई, 2008 में शुरू की गई सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ) की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006-07) 2011-12 के दौरान जारी की गई। परिणाम में प्रकट हुआ कि वर्ष 2006-07 में 36.2 करोड़ सूक्ष्म लघु व

मध्यम उद्यम(सूलमउ) हैं जो 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं |यह सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ) विकास अधिनियम, 2006 के अधिनियमन के बाद पहली गणना है और उसमें पहली बार मध्यम उद्यमों को भी शामिल किया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए बढ़ाया गया ऋण प्रवाह

सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए ऋण के वितरण की मजबूती के लिए सरकार ने 5 वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र के ऋण प्रवाह को दुगुना करने के लिए अगस्त, 2005 में लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण बढ़ाने हेतु एक नीतिगत पैकेज' की घोषणा की थी। इसके फलस्वरूप ऋण प्रवाह में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, मार्च, 2007 के अंत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बकाया ऋण में 1,02,550 करोड़ रुपए से मार्च,2010 के अंत में 2,78,398 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इसे मार्च, 2012 के अंत में 3,96,343 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया गया है। सरकार द्वारा सतत मॉनीटरिंग और प्रयासों से नीतिगत पैकेज में निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से (पीएसबी)सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के ऋण प्रवाह ने क्रमशः वर्ष 2007-08, वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान 47.4 प्रतिशत , 26.6 प्रतिशत और 45.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान ऋण वृद्धि क्रमशः 5 प्रतिशत और 25 प्रतिशत रही है|

ऋण गारंटी स्कीम

सरकार ने उन सूक्ष्म और लघु उद्यमों को राहत उपलब्ध कराने के लिए एक ऋण गारंटी निधि की स्थापना की है जो अपने उद्यमों के विकास के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्रतिज्ञा को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। उपलब्ध कराया गया गारंटी कवर 50 लाख रुपए से अधिक और 100 लाख रुपए तक के ऋण प्रदर्शन के 50 प्रतिशत पर एक रूप गारंटी के साथ 50 लाख रुपए तक (सूक्ष्म उद्यमों को उपलब्ध कराए गए 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए 85 प्रतिशत , महिलाओं के स्वामित्व/प्रचालित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी ऋणों के लिए 80 प्रतिशत) के ऋण प्रवाह के लिए 75 प्रतिशत है। स्वीकृत ऋण सुविधा की 1.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष के एक सामासिक सभी वार्षिक गारंटी शुल्क (5 लाख रुपए तक ऋण सुविधा हेतु 0.75 प्रतिशत और 5 लाख रुपए से अधिक तथा 100 लाख रुपए तक महिला, सूक्ष्म उद्यमों तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों के लिए 100 लाख रुपए तक 0.85 प्रतिशत) अब प्रभारित किया जा रहा हैं |

ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों (सूक्ष्म और लघु उद्यमों) के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक एक स्कीम, अर्थात् ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सी एल सी एस एस) चला रहा है। स्कीम का उद्देश्य संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए 15 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी (अधिकतम 15.00 लाख रुपये तक सीमित) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सहायता देना है। स्कीम के तहत सब्सिडी की गणना के लिए पात्र ऋण की अधिकतम सीमा 100.00 लाख रुपये है। वर्तमान में, 51 सुस्थापित तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों/उप क्षेत्रों को स्कीम के तहत अनुमोदित किया गया है। स्कीम के प्रभावी एवं पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने नोडल बैंकों द्वारा सब्सिडी दावों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए दिनांक 01.10.2013 से ऑनलाइन एप्लीकेशन और ट्रैकिंग सिस्टम प्रारंभ किया है। स्कीम के प्रारंभ से ही 28,287 इकाइयों ने 31.03.2014 तक 1,619,33 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाया है।

उद्यमिता और कौशल विकास

आज के तेजी से बढ़ते आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में, प्रौद्योगिकी पूर्व से भी कहीं ज्यादा अनिवार्य हो गई है। इसके विकास एवं समावेशन राष्ट्र के समग्र आर्थिक विकास के मूल अवयव हैं। यह भारत जैसे विकासशील देशों के संदर्भ में भी अधिक संगत है जहाँ प्रौद्योगिकीय विकास और रोजगार सृजन एक साथ करने होते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ) मंत्रालय, जिसके पास सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ) विकास के लिए समस्त अधिदेश है, वह उद्योग द्वारा कुशल जनशक्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए युवाओं में उद्यमिता तथा कौशल विकास का संवर्धन करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाता रहा है। ये कार्यक्रम विकास आयुक्त(सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ)) कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), कयर बोर्ड तथा मंत्रालय के अधीनस्थ बहुत से दूसरे संगठनों के कार्यालय के अधीन राष्ट्रव्यापी स्थापना नेटवर्क के माध्यम से संचालित किए जाते हैं| मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में आधुनिक उद्योगों के बहुत कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु विकास आयुक्त,(सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम(सूलमउ)) कार्यालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों द्वारा उच्च टेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों यथा परम्परागत विनिर्माण, सीएडी/सीएएम, और टूल डिजाइन, सीएनसी, मेकाट्रॉनिक्स आदि को बहुत हद तक समाज के निम्न स्तर के लिए परम्परागत/ग्रामीण उद्योग आधारित कार्यक्रमों को कवर करते हुए उनकी आवश्यकतानुसार समाज के सभी स्तरों को पूरा करते हैं।

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना

स्कीम का उद्देश्य उन संभाव्य प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को पथ प्रदर्शन के माध्यम से नए सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संवर्धित करना तथा स्थापित करना है जिन्होंनें पहले ही निम्नतम दो सप्ताह की अवधि का उद्यमिता विकास कार्यक्रम(इडीपी)/कौशल विकास कार्यक्रम (एसडीपी)/उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) पूरा कर लिया है अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त (वीटी) कर लिया है।

बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम

यह स्कीम 01.04.2010 से चलाई गई तथा इसमें खादी एवं पॉलीवस्त्र के उत्पादन मूल्य पर 20 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता पर विचार किया जाता है जिसमें कारीगरों, उत्पादन करने वाली संस्थाओं और बेचने वाली संस्थाओं की 25:30:45 के अनुपात में हिस्सेदारी होगी। विगत कुछ दशकों के दौरान गठित कई समितियों की सिफरिशों के आधार पर एवं विगत में कई पायलट परियोजनाएं चलाने के बाद स्कीम शुरू की गई है।

खादी कारीगरों के वर्कशेड स्कीम

इस स्कीम के अंतर्गत बेहतर कार्य वातावरण के लिए खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्कशेड की स्थापना के लिए 8.23 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वर्ष 2013-14 में 4444 कारीगरों को उपलब्ध कराई गई है|

परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)

यह स्कीम उद्योगों को अत्यधिक उत्पादक एवं प्रतिस्पर्धी बनाने तथा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के विचार से खादी, ग्रामोद्योग और कयर क्षेत्रों में पहचाने गए क्लस्टरों संबंधी परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए 2005 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य खादी, ग्राम एवं कयर क्षेत्रों में परंपरागत उद्योगों के एकीकृत क्लस्टर आधारित विकास के पुनर्सृजन, महत्वपूर्ण, सतत और प्रतिकृति मॉडल स्थापित करना है।

सन्दर्भ :

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट।

2. प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना।
3. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एन.एस.ई.आई.सी) द्वारा जारी रिपोर्ट।
4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम 2006.
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015